



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2003/आश्विन 1, 1925

No. 458 ]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2003/ASVINA 1, 1925

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 757 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है।

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयोग हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. पद और गोपनीयता की शपथ.—(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, कम्पनी कार्य विभाग के भारसाधक मंत्री के समक्ष इन नियमों की अनुसूची में, यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, अध्यक्ष के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे ज्येष्ठतम सदस्य के समक्ष या ऐसे अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्यरत ज्येष्ठतम सदस्य की अनुपस्थिति में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग में सचिव के समक्ष इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

## अनुसूची

## प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

## भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

“मैं, अमुक जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूँ या हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा/करूँगी”।

## प्ररूप 2

(नियम 3 देखिए)

## भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की गोपनीयता शपथ का प्ररूप

“मैं, अमुक जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूँ / हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं जो विषय उक्त आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए रखा जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जब के सिवाय तब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए उसे करना अपेक्षित हो, मैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करूँगा/करूँगी”।

[फा. सं. 1/10/2003-सी. एल.-V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Company Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2003

**G.S.R. 757(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 63, read with Sub-section (3) of Section 10, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Oath of Office and of Secrecy for Chairperson and other Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission appointed under Sub-section (1) of Section 8 of the Act;
- (c) “Commission” means the Competition Commission of India established under Sub-section (1) of Section 7 of the Act;
- (d) “Form” means a form specified in the Schedule to these Rules;
- (e) “Member” means a member of the Commission appointed under Sub-section (1) of Section 8 of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Oath of office and of secrecy.**—(1) Every person appointed to be the Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the Minister in charge of the Department of Company Affairs in the Form I and Form II, respectively, as specified in the Schedule annexed to these rules.

- (2) Every person appointed to be a member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the Chairperson, or, in his absence, before the senior-most member acting as Chairperson, or, in the absence of such Chairperson or senior-most member acting as Chairperson, before the Secretary to the Government of India in the Department of Company Affairs, in Form I and Form II, respectively, as specified in the Schedule annexed to these rules.

#### THE SCHEDULE

##### FORM I

(See rule 3)

##### Form of oath of office for Chairperson/Members of the Competition Commission of India

"I, A.B., having been appointed as Chairperson/member of the Competition Commission of India do

Solemnly affirm

Swear in the name of God

that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson/member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

##### FORM II

(See rule 3)

##### Form of oath of secrecy for Chairperson/Members of the Competition Commission of India

"I, A.B., having been appointed as Chairperson/member of the Competition Commission of India do

Solemnly affirm

Swear in the name of God

that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/member of the said Commission except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson/member."

[F. No. 1/10/2003-C.L.V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.